



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 18, 2011/श्रावण 27, 1933

No. 1594]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 2011/SRAVANA 27, 1933

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2011

का.आ. 1912(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण नियम, 2003 के नियम 37 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित निकायों को अधिसूचित करती है जिन्हें पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 24 की उप-धारा (2) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति भेजनी होगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	निकाय या अधिकरण का नाम
1.	राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चैन्नई
2.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली

[फा. सं. 1-12/2011-बीज-V]

एस. के. जी. रहाटे, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th August, 2011

S.O. 1912(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 37 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Rules, 2003, the Central Government hereby notifies the following bodies to which a copy of the certificate of registration issued under sub-section (2) of Section 24 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001) shall be sent, namely :—

Sl. No.	Name of the Body or Agency
1.	National Biodiversity Authority, Chennai.
2.	Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

[F.No. 1-12/2011-Seeds-V]

S. K. G. RAHATE, Jt. Secy.

51/67 GI/2011